प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 136/2023 (अपील सूचना का अधिकार)

किशनलाल मेघवाल पुत्र भूरालाल C/o भंवरलाल आमेटा, पताः डांगियों का **चौराहा**, तहसील–वल्लभनगर उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 18/12/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 26.09.2023 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र क्रमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/136/23/1511–12 दिनांक 21.11.2023 से लिखा गया।

अपीलार्थी अनुपस्थित। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने जवाब जरिये पत्रांक प./41/2/सू.अ./प्रथम अपील/136/2023/1312–13 दिनांक 15.12.2023 से जवाब प्रस्तुत कर कार्यालय को अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 03.10.2023 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। प्रार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना बिन्दु संख्या 1 की सूचना उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर से संबंधित होने से समयावधि में इस कार्यालय के पत्रांक 1060–61 दिनांक 03.10.2023 से अंतरित किया गया। बिन्दु संख्या 2 में राजस्व अनुभाग से प्राप्त सूचना संलग्न पत्र प्रेषित की गई एवं बिन्दु संख्या 3 की सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करा दिये जाने से प्रथम अपील निस्तारित करने की कृपा करावे।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन जो जरिये रजिस्टर्ड डाक दिनांक 26.09.2023 को प्रेषित किया गया था, उक्त आवेदन पत्र दिनांक 03.10.2023 को प्राप्त हुआ, जिसमें लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दु संख्या 2 एवं 3 से संबंधित सूचना जरिये पत्रांक 1312–13 दिनांक 15.12.23 से उपलब्ध करवा दी गई है एवं बिन्दु संख्या 1 का संबंध उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर से होने अपने कार्यालय के पत्रांक 1060–61 दिनांक 03.10.2023 से उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर को अंतरित किया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 26.09.2023 में चाही जा रही वांछित सूचना के बिन्दु संख्या 2 एवं 3 की सूचना प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है एवं शेष बिन्दु संख्या 1 की सूचना का संबंध उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर से होने से लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत अपने कार्यालय के पत्रांक 1060–61 दिनांक 03.10.2023 से उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर को अंतरित किया गया। ऐसी स्थिति में प्रकरण में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

अपीलार्थी को चाहिए कि वह बिन्दु संख्या 1 से संबंधित वांछित सूचना के लिए उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर उदयपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर वांछित सूचना प्राप्त करे।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर